न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/07/2021	2021/67	26.07.2021	20.09.2021

01– प्रवीण कुमारी पुत्री हरबंसलाल पत्नी नीरज भगत जाति मेघ निवासी मकान सं. 68 शांति कुन्ज अलवर जिला अलवर

–अपीलांट

बनाम

01– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ़, जिला अलवर।

–रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ़ दिनांक 30.09.2020 इन्तकाल सं. 457 वाके ग्राम सोनागढ तहसील रामगढ जिला अलवर।

उपस्थितः–

01–श्री जगदीश चंद सतीजा

–वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 30.09.2020 इन्तकाल संख्या 457 वाके ग्राम सोनागढ़ से व्यथित होकर न्यायालय में पेश की। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि अपीलान्ट के पिता हरबंस लाल पुत्र सादीराम जो जाति से मेघ है और अनुसूचित जाति के सदस्य है। अपीलाट की माता राजकुमारी भी जाति से मेघ अनुसूचित जाति की सदस्य थी, जिनका हाल ही में देहान्त हुआ है। अपीलान्ट हरबंसलाल व राजकुमारी के नुत्फे के अंश से पैदा हुई संतान है। इसलिये स्वतः ही अपीलान्ट मेघ जाति की सदस्य है। अपीलान्ट के पिता द्वारा उनके पक्ष में स्वयं की स्वः अर्जित जायदाद की वसियत दान पत्र आदि के द्वारा अपने अधिकार अपीलान्ट में सृजित हुए है। इस क्रम में एक दान पत्र जिसमें स्पष्ट अंकित किया है कि हिबैनामा सगी पुत्री के पक्ष में आराजी खसरा नम्बर 333 रकबा 57 ऐयर सालिम व 544 रकबा 13/44 हिस्सा वाके ग्राम सोनागढ का स्वेच्छा से दानपत्र दिनांक 04.02.2020 को लिखाया जाकर पंजीकृत कराया था। अपीलान्ट ने स्वेच्छा से दानपत्र में कब्जा स्वीकार किया है। उक्त दानपत्र विधिवत है। किन्तु रेस्पोडेन्ट द्वारा खिलाफ मौंका कानून व इक पक्षीय तरीके पर बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सुनवाई के अवसर दिये दिनांक 30.09.2020 को यह अंकित करते हुए कि मुताबिक दान पत्र नामान्तकरण का मिलान जाति के सम्बन्ध में रिकार्ड एवं दान पत्र में अन्तर होने के कारण खारिज कर दिया। जिसे आदेश से अपीलान्ट विशेष रूप से व्यथित है और दिनांक 30.09.2020 के आदेश की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नहीं हो सकी। बल्कि सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 16.07.2021 को हुई जिस पर अपीलान्ट

ने नकल हेतु आवेदन पेश किया। नकल प्राप्त कर अपील पेश की। जिसके लिये दफा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश है। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार कर तहत पारित आदेश अपास्त करने का निवेदन किया।

अपील अपीलान्ट दर्ज कर रेस्पोडेन्ट तलब किये गये। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी। वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 30.09.2020 के विरूद्ध दिनांक 26.07.2021 को अपील पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान दान पत्र की छाया प्रति पेश की। मुताबिक दान पत्र अपीलान्ट के पिता हरवंस लाल पुत्र शादीराम की जाति मेघ (जाट) का अंकन है। इसी प्रकार अपीलान्ट प्रवीण कुमारी पुत्री हरवंसलाल पत्नी नीरज भगत की जाति मेघ (जाट) का अंकन है। दान पत्र के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलान्ट की जाति मेघ जाट है किन्तु बाद में जाट शब्द को कोस्ठक के अन्दर कर दिया यह भी संदेहास्पद प्रतीत होता है। अपीलान्ट स्वयं को मेघ जाति जो कि अनुसूचित जाति से संबंध रखती है, में अंकन करवाना चाहती है किन्तु इस बाबत अपीलान्ट द्वारा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किये। अपीलान्ट द्वारा अपील की ताईद में जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की है। उक्त जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार रामगढ द्वारा दिनांक 13.04.1994 को जारी किया जाना दर्शाया है। उक्त प्रमाण पत्र किस क्रम संख्या व दिनांक को जारी किया गया है, इसका भी कोई अंकन नहीं है। वर्तमान में संलग्न प्रमाण पत्र प्रचलन में नहीं है क्योंकि वर्तमान में ऑन लाईन जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाते है, जो प्रचलन में है। इस प्रकार तहत अदालत तहसीलदार रामगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2020 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट रिकार्ड से मेल नहीं होने पर खारिज की जाती है। तहत पारित आदेश तहसीलदार रामगढ दिनांक 30.09.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति अधिनस्थ न्यायालय को विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर

निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम) अलवर